पत्रिकाओं में छपने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 2207/2023

[विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 3433/2023 से उत्पन्न]

मो. असफाक आलम ...अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य।

...उत्तरदातागण

निर्णय

एस. रवीन्द्र भट्ट, न्याया.

- 1. इस न्यायालय ने सुनवाई की पिछली तारीख, यानी 26.07.2023 को इस न्यायालय ने इस विशेष अनुमित याचिका के पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी थीं। परंतु चूंकि आक्षेपित आदेश की प्रकृति विशिष्ट है, अतः इस मामले को रोक कर रखा गया था, ताकि आज इसकी उद्घोषणा की जा सके।
- 2. वांछित विशेष अनुमित प्रदान की जाती है। अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया है और अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करके नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया गया है, जिससे वे व्यथित हैं।

- 3. कुछ आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी (इसके बाद क्रमशः "शौहर और बीवी" कहा जाएगा) का निकाह 5.11.2020 को हुआ था। अपीलकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी-बीवी खुश नहीं थी और उसके पिता उनके बीच हस्तक्षेप करते थे तथा उस पर और उसके परिवार वालों पर दबाव डालते थे। इसके चलते बीवी के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई कि अपीलकर्ता के परिवार को धमकी दी जा रही है। आरोप लगाया गया है कि लिलता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य' के मामले में पांच जजों की बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करते हुए, संबंधित पुलिस थाना² द्वारा अपीलकर्ता, उसके भाई एवं अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 498 ए, 323/504/506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध करने की शिकायत के साथ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई।
- 4. अपीलकर्ता को गिरफ्तारी की आशंका थी और इसलिए उसने सत्र न्यायाधीश, गुमला, झारखंड के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, परंतु उनका जमानत आवेदन 28.06.2022 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने 05.07.2022 को अग्रिम जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान, अपीलकर्ता ने जांच में भी सहयोग किया और जांच पूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया।

^{1. [2013] 14} एससीआर 713

^{2.} गुमला महिला थाना काण्ड संख्या 07/20223

5. सत्र न्यायालय द्वारा 01.10.2022 को संज्ञान लिया गया। सत्र न्यायालय ने इस आदेश में कहा कि 08.08.2022 को उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के साथ अपीलकर्ता को संरक्षण दिया था और निर्देश दिया था कि उसे गिरफ्तार न किया जाए। जब 18.01.2023 को उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन पर अगली सुनवाई की गई, तो बिना कोई सूचना दिए लंबित अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश³ के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

"इस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने पर मैंने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं कि इस मामले के दर्ज होने के तुरंत बाद ही सूचक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करके क्रूरता की जा रही है।"

याचिकाकर्ता के खिलाफ उपलब्ध सामग्री तथा विद्वान वकीलों की दलीलों एवं आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार देने का इच्छुक नहीं हूं, इसे खारिज किया जाता है।

याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करके नियमित जमानत के लिए आवेदन करें। निचली अदालत इस आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर इस मामले पर विचार करेगी।

^{3.} ए.बी.ए. सं. 5771/2022 दिनांक 18.01.2023

- 6. अपीलकर्ता का तर्क है कि संविधान द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। आरोप पत्र दाखिल करने से पहले गिरफ्तारी की आवश्यकता तब होती है जब अभियुक्त की हिरासत में जांच या पूछताछ आवश्यक होती है अथवा गंभीर अपराधों के उन मामलों में, जहां अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह ठीक है कि गिरफ्तारी की जा सकती है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि हर मामले में गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि गिरफ्तार करने की शक्ति होना और इस शक्ति का उचित प्रयोग करना दोनों अलग चीजें हैं, और इस अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार वे यह तर्क देते हैं कि इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 41ए की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए।
- 7. विद्वान अधिवक्ता ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य⁴, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य⁵ तथा सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य⁵ में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को आधार बनाकर अपनी दलीलों पर बल दिया। उन्होंने बात पर भी प्रकाश डाला है कि अगर अनुसंधान अधिकारी को लगता है कि अभियुक्त फरार हो सकता है या समन की अवज्ञा कर सकता है, तभी उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता होती है।
- 8. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि दरअसल आरोप पत्र दायर

^{4. [2014] 8} एससीआर 128

^{5. [2022] 10} एससीआर 351

^{6. (2022) 1} एससीसी 676

कर दिए जाने मात्र से कोई अभियुक्त अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी नहीं हो जाता, यह हमेशा न्यायालय के विवेकाधीन रहता है। न्यायालय किसी अभियुक्त को उसके पूर्व आचरण के आधार पर गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना पर हमेशा विचार करता ही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि प्रतिवादी ने, जो इस मामले में शिकायतकर्ता है, आरोप लगाया था कि शादी के लगभग डेढ़ महीने बाद से ही ससुराल में अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदार लगातार उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अधिवक्ता ने यह भी कहा है शिकायतकर्ता के अनुसार, धमकी का स्तर इस हद तक बढ़ गया था कि उसे इस तरह का इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे जांच में पता चलेगा कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।

विश्लेषण

9. इस अदालत ने जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते समय हमेशा ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। कई मामलों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा यह स्थापित किया गया है कि आम तौर पर जमानत दे दी जानी चाहिए। गंभीर मामलों में - जो सीआरपीसी (धारा 437) के प्रावधानों में निर्दिष्ट हैं, जिनमें लंबी सजा वाले अपराध तथा अन्य विशेष अपराधों से संबंधित आरोप शामिल हैं, न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करने में सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जब किसी मामले में जमानत या अग्रिम जमानत की मांग की जाती है, तो न्यायालय को जिन बातों पर सर्वाधिक ध्यान रखा जाना चाहिए, वे हैं - अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अनुसंधान के दौरान अभियुक्त द्वारा सबूतों को हानि पहुंचाने, गवाहों को धमकी देने या प्रभावित करने की कोशिश करके जाँच

प्रक्रिया में बाधा डालने की संभावना हो, अभियुक्त के न्याय प्रक्रिया के दौरान फरार होने की संभावना हो या ऐसी ही कोई अन्य संभावना हो। विचारण के दौरान, अदालत हमेशा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन चलती है, और वह जैसा आवश्यक समझे, वैसी शर्त लगा सकती है, तािक मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अदालत को हर मामले में इन व्यापक सिद्धांतों का पालन करना ही चाहिए।

10. पांच जजों की बेंच द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य⁷ के मामले में विचार करते समय इस अदालत को गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य⁸ मामले सिहत अपने पिछले कई निर्णयों की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें यह भी तय करना था कि क्या गिरफ्तारी से पूर्व जमानत आदेश को सीमित करना आवश्यक है, विशेषकर तब, जब आरोप-पत्र दायर किया जा चुका हो। अदालत (एम.आर. शाह, न्याया.) ने, अन्य बातों के अलावा अपने फैसले में कहा कि:

"7.6. इस प्रकार, गुरबख्श सिंह सिब्बिया [गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565: 1980 एससीसी (आपराधिक) 465] मामले में इस न्यायालय की सिविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यदि पर्याप्त कारण मौजूद हों, तो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन को आदेश के अंतर्गत आने वाले मामले में छोटी अविध तक सीमित कर सकता है और आवेदक को ऐसे मामले में सीआरपीसी की धारा 437 या 439 के तहत जमानत का आदेश प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। सिविधान पीठ ने आगे कहा कि इसे एक

^{7. 2020 (2)} एससीआर 1

^{8. 1980] 3} एससीआर 383

अपरिवर्तनीय नियम के रूप में पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे यह कहा गया कि सामान्य नियम में आदेश के पालन को किसी निश्चित समयाविध सीमित नहीं करना चाहिए। हमारी राय यह है कि संबंधित अदालत द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व जमानत का आदेश देते समय ही शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन शर्तों में समय की अविध के संबंध में आदेश के पालन को सीमित करना शामिल है, विशेष रूप से वह चरण जिस पर "अग्रिम जमानत" आवेदन दायर किया जाता है, अर्थात्, क्या यह एफआईआर दर्ज होने से पहले के चरण में है या उस चरण में जब एफआईआर दर्ज की गई है और जांच चल रही है या उस चरण में है जब जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है, सामान्य नियम में समय की अविध के संबंध में आदेश को सीमित नहीं करना चाहिए।

(इस निर्णय के लेखक द्वारा) व्यक्त किए गए विचार इस प्रकार थे :

"85.3. सीआरपीसी की धारा 438 अदालतों को जांच या पूछताछ आदि के दौरान या एफआईआर दर्ज करने या किसी गवाह के बयान दर्ज करने पर समय के संदर्भ में राहत देने वाली शर्तों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं करती है। अग्रिम जमानत देने के लिए किसी आवेदन पर विचार करते समय अदालत को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच के दौरान उसके प्रभावित होने की संभावना या सबूतों के साथ छेड़छाड़ (गवाहों को डराने-धमकाने सिहत), न्याय से भागने की संभावना (आदि) पर विचार करना होगा (जैसे कि देश छोड़ना)। अदालतों के लिए उचित है कि - वे सीआरपीसी की धारा 437(3) में वर्णित शर्तें लगाएं [धारा 438(2) के आधार पर]। अन्य प्रतिबंध लगाने वाली शर्तों को लागू करने की आवश्यकता का निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर और राज्य या जांच एजेंसी द्वारा पेश की गई सामग्री के आधार पर करना। ऐसी विशेष या अन्य शर्तें तभी लगाई जा सकती हैं जब मामला ऐसा हो, लेकिन सभी मामलों में इसे नियमित तरीके से नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी तरह, अग्रिम जमानत को सीमित करने वाली शर्तें तभी दी जा सकती हैं, यदि वे किसी मामले या मामलों के तथ्यों के अनुसार आवश्यक हों; तथापि, ऐसी सीमित शर्तें हमेशा लागू नहीं की जा सकतीं।

85.4. अग्रिम जमानत देनी है या नहीं देनी है, इसका आकलन करते समय अदालतों को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों आदि पर ठीक से विचार करना चाहिए। जमानत देना या न देना अदालत के विवेक पर निर्भर है; और यदि जमानत दी जाती है, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें लगाई जानी हैं (या नहीं लगाई जानी हैं) यह उस मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और अदालत के विवेक के अधीन भी है।

85.5. अभियुक्त के आचरण और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत विचारण के अंत तक जारी रह सकती है। साथ ही अग्रिम जमानत के आदेश का अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि इससे अभियुक्त को आगे और अपराध करने और फिर गिरफ्तारी से राहत का दावा करने की छूट मिल जाती है। इसे उस अपराध या घटना तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जिस घटना के संबंध में गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई है। यह भविष्य की किसी अपराध संबंधी घटना के लिए प्रभावी नहीं होगा।

87. हमारे गणतंत्र का इतिहास - और वास्तव में. स्वतंत्रता आंदोलन ने दिखाया है कि कैसे मनमानी गिरफ्तारी और अनिश्चितकालीन हिरासत की संभावना और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण लोग आजादी की मांग के लिए एकजुट हुए। रौलट एक्ट को याद कीजिए, इसके खिलाफ कैसे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, जालियांवाला बाग नरसंहार और कई अन्य घटनाएं हुई; जहां आम जनता (विरोध करने के) अपने अधिकार का प्रयोग कर रही थी. लेकिन उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया और अंततः लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। बार-बार नागरिकों को परेशान और अपमानित करने के लिए और कई बार शक्तिशाली व्यक्तियों के हित में (अपराधों की कोई जांच बिना किए) मनमाने ढंग से और भारी-भरकम गिरफ्तारियों के कारण ही धारा 438 को अधिनियमित किया गया। विधि आयोग के कई प्रतिवेदनों और अनुशंसाओं के बावजूद, मनमानी और आधारहीन गिरफ़्तारियाँ अभी भी व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होतीं हैं। संसद ने विशेष रूप से अवधि के संबंध में. या आरोप पत्र दायर होने तक, या गंभीर अपराधों में, गिरफ्तारी से पूर्व या अग्रिम जमानत देने में अदालतों की शक्ति या विवेक को कम करना उचित नहीं समझा है। इसलिए. यह समाज के व्यापक हित में नहीं होगा यदि न्यायालय, न्यायिक व्याख्या द्वारा, उस शक्ति के प्रयोग को सीमित करता है। इसका खतरा यह होगा कि धीरे-धीरे, जिसे परामर्श दे-देकर विवेक को व्यापक रखा गया है, बहुत ही संकीर्ण और अज्ञात रूप से छोटे-से हिस्से में सिमट जाएगा, इस प्रकार इस प्रावधान का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, जो इन 46 वर्षों में समय की कसौटी पर खरा उतरा है।"

11. अधिवक्ता द्वारा उद्धृत यह निर्णय कई प्रकार के मामलों में पुलिस की शक्तियों, अदालत के विवेक और कर्तव्यों के संबंध में उपयोगी और मूल्यवान हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 498ए एवं अन्य वैवाहिक अपराधों से संबंधित मामले भी शामिल हैं। अर्नेश कुमार (उपरोक्त) के मामले में, कहा गया है कि:

''9. उपरोक्त प्रावधान को सामान्य रूप से पढ़ने पर ही स्पष्ट हो जाता है कि सात वर्ष से कम अवधि के कारावास (जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के) या सात वर्ष तक की सजा से दंडनीय अपराध के अभियुक्त को पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस बात पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति ने उपरोक्तानुसार दंडनीय अपराध किया है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए या मामले की उचित जांच के लिए या अभियुक्त को अपराध के सबूत गायब करने से रोकने के लिए या ऐसे सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने या किसी गवाह को प्रलोभन, धमकी या वादा करके उसे अदालत या पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या जब तक ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब भी आवश्यक हो, अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है। ये वे निष्कर्ष हैं जिन पर कोई भी तथ्यों के आधार पर पहुंच सकता है। कानून पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी करते समय तथ्यों को बताने और उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने का आदेश देता है जिसके कारण वह

उपरोक्त प्रावधानों में से किसी एक के तहत आने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा। कानूनन पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता होती है। असल में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों? क्या सचमुच इसकी आवश्यकता है? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होगा? इन सवालों का समाधान होने और ऊपर बताई गई एक या अन्य शर्तें पूरी होने के बाद ही गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। जुर्माने में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास जानकारी और सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को इस बात से भी संतुष्ट होना होगा कि सीआरपीसी की धारा 41 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) तक उल्लिखित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है।

अदालत ने उन सभी मामलों में, जहां जमानत देने का प्रश्न उठता है, पुलिस अधिकारियों और अदालतों द्वारा पालन किए जाने हेतु मूल्यवान निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा, अदालत ने सिद्धार्थ (उपर्युक्त) के मामले में अपने फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रधानता को रेखांकित किया था :

"10. हमें ध्यान देना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब होती है जब हिरासत में उससे पूछताछ आवश्यक हो या वह अपराध जघन्य हो या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। चूंकि गिरफ्तारी की जा सकती है और वह वैध भी है, तो केवल इसीलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर का ध्यान रखना ही चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त भाग जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा और वास्तव में, उसने पूरी जांच प्रक्रिया में सहयोग किया है तो हम यह समझ नहीं पा रहे कि पुलिस अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की बाध्यता क्यों होनी चाहिए।

12. इस मामले में इस न्यायालय की राय है कि इसमें ऐसी कोई सनसनीखेज विशेषता या तत्व नहीं हैं जो अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने से वंचित करते हों। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि शौहर-बीवी के बीच समझौता होने से पहले ही वैवाहिक रिश्ते में खटास आ गई, बल्कि यह है कि इस स्तर पर अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या आंशिक रूप से सच हैं, जो कम से कम इस अदालत के लिए तो अनुमान का ही विषय हैं। हालाँकि, जहां तक रिकॉर्ड की बात है, जिस समय अग्रिम जमानत लंबित थी, उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - पहला, जब किसी अंतरिम आदेश के माध्यम से उसे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी (अप्रैल 2022 और 08.08.2022 के बीच)। दूसरा, 08.08.2022 को उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें पुलिस को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उसके आवेदन के लंबित रहने के दौरान उसे गिरफ्तार न करने का

प्रभावी निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि जांच पूरी हो गई थी, और 08.08.2022 के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था, और वास्तव में सत्र न्यायाधीश द्वारा 01.10.2022 को संज्ञान लिया गया था। ये कारक महत्वपूर्ण थे, और उच्च न्यायालय ने इन कारकों पर ध्यान दिया, लेकिन उनकी व्याख्या बिलकुल अलग तरीके से की। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने 08.08.2022 से पहले, जब उसे कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी तब भी उसने जांच में सहयोग किया और 08.08.2022 के बाद, जब उसे आरोपपत्र दाखिल होने और 01.10.2022 को उस मामले के संज्ञान तक सुरक्षा प्राप्त थी, तब भी सहयोग किया। इस प्रकार, जब आरोप पत्र दायर किया गया था और कम से कम अभियुक्तों की ओर से कोई बाधा नहीं थी, तो अदालत को अपराधों की प्रकृति, आरोपों और उनके द्वारा किए गए अपराधों की अधिकतम सजा को ध्यान में रखना चाहिए था और निश्चित रूप से जमानत दे दी जानी चाहिए थी। हालाँकि, अदालत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मशीनी रूप से खारिज कर दिया और इतना ही नहीं, घाव पर नमक छिड़कने के लिए अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का निर्देश भी दे दिया। इसलिए, इस अदालत की राय में उच्च न्यायालय ने इस तरह का अजीब दृष्टिकोण अपनाकर गलती की। इसलिए, जमानत को खारिज करने और अपीलकर्ता को आत्मसमर्पण करने और बाद में जमानत मांगने का निर्देश देने का आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है। समाप्त करने से पहले, अदालत कार्यवाही संपन्न करने वाली सभी अदालतों को अर्नेश कुमार (उपरोक्त) में निर्धारित कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश देती है और साथ ही साथ अन्य निर्देशों को भी दोहराती है:

- "I. 11. इस फैसले में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अभियुक्त को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न करें और दंडाधिकारी आकस्मिक और यंत्रवत् हिरासत की पुष्टि न करें। हमने ऊपर जैसा कहा है, वैसा सुनिश्चित करने के लिए हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:
- 11.1. सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज होने पर मशीनी रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता पर पहले स्वयं संतुष्ट हो लें;
- 11.2. सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(बी)(ii) में निर्दिष्ट उप-धाराओं की एक सूची प्रदान की जाए;
- 11.3. पुलिस अधिकारी- अभियुक्त को आगे भी हिरासत में रखने के लिए दंडाधिकारी के समक्ष अग्रेषित/पेश करते समय विधिवत भरी हुई जांच सूची भी अग्रेषित करेगा और उन कारणों और तथ्यों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी आवश्यक हुई;

- 11.4. अभियुक्त की हिरासत की पृष्टि करते समय दंडाधिकारी उपरोक्त शर्तों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और संतुष्ट होने के बाद ही दंडाधिकारी उस हिरासत को अधिकृत करेगा;
- 11.5. किसी अभियुक्त को गिरफ़्तार न करने का निर्णय, किसी मामले के दर्ज होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर दंडाधिकारी को लिखित रूप में भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति दंडाधिकारी को दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बताए गए कारणों से बढ़ाया जा सकता है;
- 11.6. मामला दर्ज होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दिए गए कारणों से बढ़ाया भी जा सकता है;
- 11.7. उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित पुलिस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाए तथा स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष संस्थित अदालत की अवमानना के लिए दंडित भी किए जा सकेंगे।

- 11.8. संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त कारणों पर विचार किए बिना हिरासत को अधिकृत करने पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
- 12. इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश केवल आईपीसी की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामले पर ही लागू नहीं होंगे, बल्कि ऐसे सभी मामलों पर भी लागू होंगे जिन अपराधों में सजा की अवधि सात वर्ष से कम है या सात वर्ष तक ही बढ़ाने योग्य है, (जुर्माने के साथ या उसके बिना)।"
- II. उच्च न्यायालय उपरोक्त निर्देशों को अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के रूप में तैयार करेगा जिनका पालन सत्र अदालतों और विभिन्न अपराधों से निपटने वाली अन्य सभी आपराधिक अदालतों द्वारा किया जाएगा।
- III. इसी प्रकार, सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में सख्त निर्देश जारी किए जाएं। उच्च न्यायालय और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, दोनों ही यह सुनिश्चित करेंगे कि आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रत्येक राज्य में सभी निचली अदालतों और पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे दिशानिर्देश और निर्देश/विभागीय परिपत्र जारी किए जाएं।
- IV. सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों के निबंधक दस सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल करेंगे।

13. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जैसा विचारण न्यायालय उचित समझे। सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों और पुलिस अधिकारियों को उल्लिखित समय सीमा के भीतर उपरोक्त पैरा में बताए गए तरीके से उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है।

न्याया.।
[एस. रवीन्द्र भट्ट]
न्याया.।
[अरविंद कुमार]

नई दिल्ली;

31 जुलाई 2023

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में अनूदित निर्णय का उपयोग इतना ही है कि वादी इसे अपनी भाषा में समझ सके। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक कार्यों में तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।